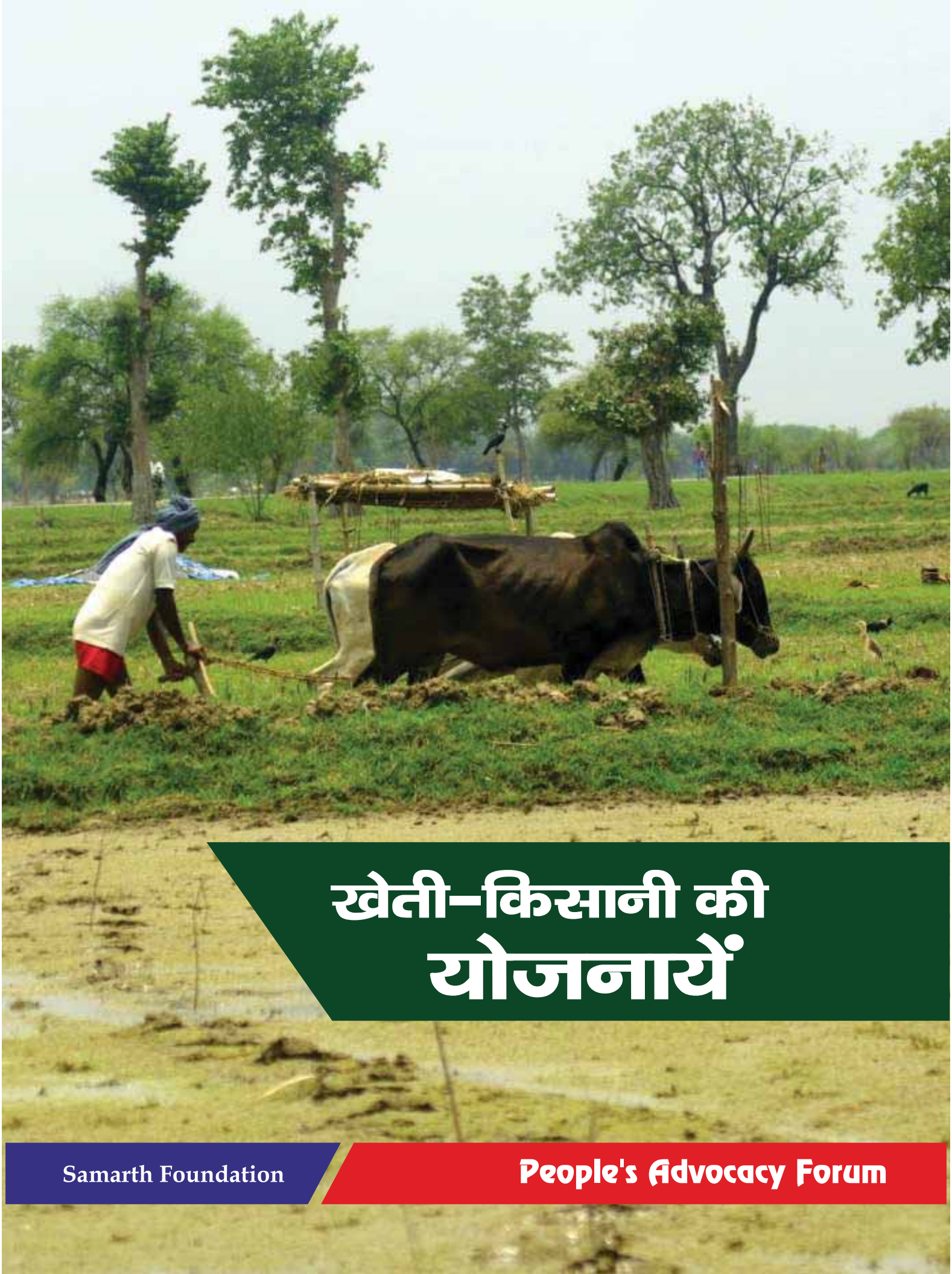

खेती–किसानी की योजनायें

Samarth Foundation

People's Advocacy Forum

नवम्बर, 2015

सम्पादन सहयोग
ख़ालिद चौधरी, राजन सिंह
एवं मनीषा भाटिया

लेखन एवं सम्पादन
अजय शर्मा

वित्तीय सहयोग
समर्थ फाउण्डेशन
एक्शनएड, लखनऊ

सीमित वितरण हेतु

आमुख

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और इसी तरह हमारे प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी भी कृषि और उससे सम्बन्धित गतिविधियों पर आधारित है। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में लगभग तीन करोड़ किसान व लगभग एक करोड़ बटाईदार किसान हैं, इसके अतिरिक्त बड़ी सख्या में कृषि मजदूर हैं, जो दूसरों के खेत में काम कर अपना गुजर–बसर करते हैं।

ज्ञातव्य हो कि कृषि समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केन्द्र और राज्य दोनों के द्वारा कृषि विकास हेतु प्रावधान किये जाते हैं तथा योजनाओं को संचालन किया जाता है। जहाँ एक तरफ योजनाओं की जानकारी के अभाव और जागरूकता की कमी के चलते बहुतेरे किसान इसका लाभ लेने से वंचित रहे जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ समुदाय आधारित जन–संगठन और उनके कार्यकर्ता भी समुचित पैरोकारी नहीं कर पाते हैं। इसका एक प्रमुख कारण ग्रामीण समाज में व्याप्त अशिक्षा और कृषि साहित्य की अनुपलब्धता है तथा अद्यतन कृषि तकनीक की जानकारी किसानों को मिलती रहे, ऐसी कोई ठोस व्यवस्था भी हमारे समाज में नहीं है। आज भी हमारा कृषक समाज पारंपरिक मौखिक–वाचिक परंपरा के भरोसे है।

पिछले कई वर्षों से प्रदेश में पर्यावरणीय असंतुलन व मौसम में हुए परिवर्तन के कारण सभी फसल चक्र प्रभावित रहे हैं, किन्तु किसानों में जागरूकता के अभाव में फसल बीमा के प्रति उदासीनता व्याप्त है। इसी वर्ष रबी फसलों के दौरान अतिवृष्टि व ओलावृष्टि के कारण बड़े पैमाने पर फसले बर्बाद हुईं, तब यह तथ्य सामने आया कि प्रदेश के मात्र 6 प्रतिशत फसलों का ही बीमा हुआ था, जो निराशाजनक तो है ही साथ ही यह भी इंगित करता है कि खेती–किसानी में लगे लोगों में किस कदर सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं या प्रावधानों की जानकारी का अभाव है।

पुस्तिका में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चरल एण्ड टेक्नोलॉजी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग की योजना, शोध एवं मृदा सर्वेक्षा अनुभाग द्वारा संचालित योजनाएं, सांख्यिकी अनुभाग द्वारा संचालित योजनाएं, तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषकों को सहायता की योजनायें व राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु संशोधित मदों की सूची एवं मानकों की संशोधित दरों के अनुसार राहत प्रदान किया जाने के शासनादेश का विस्तृत विवरण दिया गया है।

यह पुस्तिका किसानों, लघु व सीमान्त किसानों एवं कृषि श्रमिकों और समुदाय के लोगों, उनके अधिकारों के लिए काम कर रहे साथियों, व जन–संगठनों के लिए मददगार होगी, इसी विश्वास के साथ...

– जन पैरवी मंच

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)**	01
	अ. दलहन घटक	05
	ब. गेहूँ घटक	06
	स. चावल घटक	07
	द. कोर्स सीरियल घटक	08
	य. कामर्शियल क्राप्स मद के अन्तर्गत कृषकों को अनुमन्य सुविधाएं	08
2.	**नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चरल एण्ड टेक्नोलॉजी (एन.एम.ए.इ.टी.)**	09
	अ. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन	09
	ब. सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल	13
	स. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन	15
	द. सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एण्ड प्लांट क्वारंटाइन (एस.एम.पी.पी.)	18
3.	**नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पाम**	20
	अ. मिनी मिशन –I तिलहन कार्यक्रम	20
	ब. मिनी मिशन –III वृक्षजनित तेल कार्यक्रम	23
4.	**नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर**	24
	अ. रेनफेड एरिया डेवलपमेंट	24
	ब. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)	27
	स. मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन	27
	द. मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम	28
	य. 10 सचल भूमि परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	29
5.	**इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चरल सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स**	30

6. नेशनल क्राप इन्शुरन्स प्रोग्राम (एन.सी.आई.पी.) 31
अ. संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 31
ब. मौसम आधारित फसल बीमा योजना32

7. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत - पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार (बी.जी.आर.ई.आई.) की योजना 33

8. बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग की योजना 37
अ. प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान की योजनाएं 37
ब. प्रदेश में संकर बीजों को बढ़ावा देने की योजना 38
स. सोलर फोटोवोलटैइक इरीगेशन पम्प की योजना 38

9. कृषि रक्षा अनुभाग द्वारा संचालित विभिन्न परिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना 40

10. शोध एवं मृदा सर्वेक्षा अनुभाग द्वारा संचालित योजनाएं 43
अ. मृदा सर्वेक्षण कार्यक्रम 43
ब. मृदा परीक्षण की योजना 43
स. मृदा स्वास्थ्य का सुदृढ़ीकरण 44
द. जैव कल्चर उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की कार्य योजना 45

11. सांख्यिकी अनुभाग द्वारा संचालित योजनाएं 46
अ. कृषि सांख्यिकी एवं प्रबन्ध व्यवस्था को कम्पयूटराइज करने की योजना 46
ब. न्याय पंचायत स्तर पर प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के अनुमानों को आंकलित कर, डाटा बैंक तैयार करने की योजना 46

12. तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषकों को सहायता की योजना 47

13. शासनादेश- राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु संशोधित मदों की सूची एवं मानकों की संशोधित दरों के अनुसार राहत प्रदान किया जाना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना वर्ष 2015-16

योजना का नाम : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

चयनित जनपद वर्ष : 2015–16

चावल घटक–23 जनपदः अलीगढ़, बरेली, बदायूँ, मुरादाबाद, रामपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, संतकबीरनगर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, अमेठी, बलरामपुर, बहराइच तथा श्रावस्ती।

दलहन घटक–समस्त 75 जनपद, उत्तर प्रदेश।

गेहूँ घटक–31 जनपदः हाथरस, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, लखनऊ, फैजाबाद, अमेठी, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती।

कोर्स सीरियल–20 जनपदः बुलंदशहर, बदायूँ, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरेया, कानपुर देहात, ललितपुर, जालौन, हरदोई, गोण्डा एवं बहराइच।

कामर्शियल घटक–33 जनपद (जूट–5, काटन–4 व गन्ना–2):

जूट : सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती।

कपास : आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस।

गन्ना : सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती एवं फैजाबाद।

उद्देश्यः

- चिन्हित जनपदों में चावल, गेहूँ, दलहन एवं मोटा अनाज के क्षेत्रफल में विस्तार तथा उत्पादकता में सतत वृद्धि करते हुए उत्पादन बढ़ाना।
- किसान के खेत की मृदा उर्वरता को बनाये रखते हुए उत्पादकता में वृद्धि करना।
- किसानों में विश्वास बनाये रखते हुए उनके आर्थिक स्तर में वृद्धि।

रणनीतिः

- कम उत्पादकता वाले एवं उच्च क्षमता वाले जनपदों में चावल, गेहूँ, दलहन एवं मोटा अनाज के उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना।
- सभी सम्बन्धित का सहयोग लेते हुए फसल आधारित केन्द्रित क्रियाकलापों का क्रियान्वयन।

- भू–जलवायु क्षेत्र के अनुसार योजना बनाना एवं फसल उत्पादन वृद्धि हेतु क्लस्टर एप्रोच का अंगीकरण।
- चावल के खाली खेतों में दलहन उत्पादन पर ध्यान देना। मोटा अनाज के साथ दलहन का इंटर क्रापिंग एवं तिलहन एवं दलहन के साथ इंटर क्रापिंग।
- उन्नत तकनीकी का प्रोत्साहन एवं प्रसार (उन्नत बीज, एकीकृत तत्व प्रबन्धन, सूक्ष्म तत्व एवं मृदा सुधारक, एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन, कृषि निवेश उपयोग में वृद्धि, उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग एवं कृषकों तथा प्रसार कर्मियों का प्रशिक्षण)।
- धन प्रवाह का प्रभावी अनुश्रवण, जिससे कि समय पर लाभार्थियों को धन उपलब्ध हो।
- प्रस्तावित क्रियाकलापों एवं लक्ष्य का जनपद योजना से जोड़ना।
- नियमित अनुश्रवण एवं समयवर्ती मूल्यांकन।

संरचना–राज्य स्तर

उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में ''राज्य स्तरीय खाद्य सुरक्षा मिशन'' क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है।

- प्रदेश स्तर पर योजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग द्वारा एवं जनपद स्तर पर ए0टी0एम0ए0 (आत्मा) द्वारा किया जायेगा।
- योजना के लेखा का रखरखाव अलग से किया जायेगा। वार्षिक लेखा का आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं ए0जी0 इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।
- कृषि विभाग द्वारा राज्य कार्ययोजना बनायी जायेगी।
- सभी सम्बन्धित का सहयोग लिया जायेगा।
- राज्य स्तर पर वर्कशाप, कार्यशाला एवं कृषकों एवं अन्य के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन।
- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्ययोजना का क्रियान्वयन।

संरचना–जनपद स्तर

- जनपद स्तर पर योजना का क्रियान्वयन ए0टी0एम0ए0 (आत्मा) द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा आत्मा को धन उपलब्ध कराया जायेगा।
- 11वीं पंचवर्षीय योजना में गठित जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्रियान्वयन समिति 12वीं योजना में भी प्रभावी रहेगी।
- जनपद खाद्य सुरक्षा मिशन क्रियान्वयन समिति का गठन जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है।

क्षेत्र एवं लाभार्थियों का चयन–

भारत सरकार के निर्णय के अनुसार कुल बजट का 10 प्रतिशत स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस0सी0पी0) अनुसूचित जाति एवं ट्राइबल सब प्लान (टी0एस0पी0) अनुसूचित जन जाति हेतु

चिन्हित किया जाये।

लाभार्थियों के चयन में ग्राम पंचायत का प्रभावी सहयोग लिया जाये।

- ऐसे सहयोगी कृषकों का ही चयन किया जाये जो कार्यक्रम में रूचि रखते हों।
- ग्राम पंचायत की खुली बैठक में लाभार्थियों का चयन किया जाये।
- कम से कम 33 प्रतिशत फण्ड/धनराशि लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु रखी जाये।
- कम से कम 30 प्रतिशत बजट महिला कृषकों हेतु रखा जाये।
- बीज तथा अन्य निवेशों पर 5 हे0 की जोत सीमा तक सभी कृषक एक फसल सत्र में आच्छादित हो सकेगें परन्तु लाभ केवल 2 हे0 की सीमा तक ही प्राप्त कर सकते हैं।
- प्रदर्शनों के नियोजन/क्रियान्वयन, कृषक प्रशिक्षण और मूल्यांकन में कृषि विश्वविद्यालय के के0वी0के0, ए0टी0एम0 प्रतिष्ठित एन0जी0ओ0 एवं संबधित विभागों का क्रियात्मक सहयोग लिया जाये। जनपदीय जिला प्रबन्धन दल, शोध संस्थानों एवं विभिन्न सहयोगी विभागों से समन्वय करेगा।

वित्त–पोषण का स्वरूप–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना प्रारम्भिक काल (2007–08) से शत–प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित थी। वर्ष 2015–16 से भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार का अंशदान 50:50 के अनुपात में प्रोविजनल आधार पर प्रस्तावित किया गया है।

परियोजना प्रबन्धन दल–

राज्य स्तर पर 4 परियोजना प्रबन्धन दल (दलहन घटक) स्वीकृत हैं। प्रत्येक दल में एक सलाहाकार एवं दो तकनीकी सहायक हैं। जनपद स्तर पर 65 जनपदों में दलहन घटक में परियोजना प्रबन्धन दल स्वीकृत है, जिनका विवरण निम्नवत हैः–

शामली, बुंलदशहर, हापुड़, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, बरेली, बदायूँ, शाहजहॉपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बा।दा, ।चेत्रकूट, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, सुलतानपुर, बाराबंकी, अमेठी, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, महराजगंज तथा सिद्धार्थनगर।

परियोजना प्रबन्धन दल के कार्य–

- राज्य/जनपद को संरचनात्मक एवं तकनीकी मामलों में गाईड करना।

- मिशन के सभी कार्यों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में सहायता।
- कृषकों/प्रसार कर्मियों के प्रशिक्षण में सहायता एवं क्लस्टर प्रदर्शनों के क्रॉप कटिंग के आंकड़ों का रखरखाव।
- समवर्ती मूल्यांकन में राज्य एवं जनपद की सहायता तथा सफलता की कहानियों का डाक्यूमेंटेशन।
- मिशन के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार अभियान चलाना।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत अनुमोदित राज्य कार्ययोजना 2015-16 का वित्तीय संक्षेप

क्रम सं0	घटक	वित्तीय परिव्यय (लाख रु0 में)
1.	चावल	7061.60
2.	गेहूँ	9323.00
3.	दलहन	10934.48
4.	कोर्स सीरियल्स	1588.00
	योग	**28907.08**

अ. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना वर्ष 2015-16 में कृषकों को अनुमन्य सुविधाएं (दलहन घटक)

क्रम सं0	मद का नाम	इकाई	धनराशि (रु0 में)
1.	**क्लस्टर प्रदर्शन (प्रत्येक 100 हे0) (निःशुल्क)**	रु0/हे0	7500
2.	**फसल पद्धति प्रदर्शन (निःशुल्क)**	रु0/हे0	12500
3.	**बीज/प्रमाणित बीज वितरण**		
	– उन्नतशील प्रजातियों के बीज	रु0/कु0	2500
4.	**कृषि रक्षा/भूमि रक्षा प्रबन्धन**		
	– सूक्ष्म पोषक तत्व	रु0/हे0	500
	– जिप्सम/सल्फर	रु0/हे0	750
	– कृषि रक्षा रसायन/बायोएजेन्ट	रु0/हे0	500
	– जैव उर्वरक	रु0/हे0	300
	– खरपतवार नाशी	रु0/हे0	500
5.	**स्रोत संरक्षण तकनीकी/यंत्र/ऊर्जा प्रबन्धन**		
	– हस्तचालित स्प्रेयर	रु0/मशीन	600
	– पावर नैपसेक स्प्रेयर	रु0/मशीन	3000
	– सीडड्रिल/मल्टीक्राप प्लान्टर/जीरोटिल सीडड्रिल /जीरो टिल मल्टी क्राप प्लान्टर/रिज फरो प्लान्टर /पावर वीडर	रु0/मशीन	15000
	– रोटावेटर	रु0/मशीन	35000
	– लेजर लैण्ड लेवलर	रु0/मशीन	150000

	– पैडी थ्रेशर/मल्टीक्राप थ्रेशर	रु0/मशीन	40000
	– चीजलर	रु0/मशीन	8000
	– ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर	रु0/मशीन	10000
6.	**सिंचाई प्रबन्धन**		
	– पम्पसेट	रु0/मशीन	10000
	– स्प्रिंकलर सेट	रु0/सेट	10000
	– मोबाइल स्प्रिंकलर रेनगन	रु0/रेनगन	15000
	– पानी ले जाने हेतु पाईप	रु0/सेट या रु0 25/मी0	15000
7.	**प्रशिक्षण**–फसल पद्धति आधारित	रु0/प्रशिक्षण	14000

नोटः

1. क्रमांक 3 से 6 तक मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य होगा।
2. 15 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली उन्नतशील प्रजातियों के बीजों पर ही अनुदान अनुमन्य।

ब. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना वर्ष 2015-16 में कृषकों को अनुमन्य सुविधाएं (गेहूँ घटक)

क्रम सं0	मद का नाम	इकाई	धनराशि (रु0 में)
1.	**क्लस्टर प्रदर्शन (प्रत्येक 100 हे0) (निःशुल्क)**	रु0/हे0	7500
2.	**फसल पद्धति प्रदर्शन (निःशुल्क)**	रु0/हे0	12500
3.	**बीज/प्रमाणित बीज वितरण**		
	– उन्नतशील प्रजातियों के बीज	रु0/कु0	1000
4.	**कृषि रक्षा/भूमि रक्षा प्रबन्धन**		
	– सूक्ष्म पोषक तत्व	रु0/हे0	500
	– जिप्सम/सल्फर	रु0/हे0	750
	– कृषि रक्षा रसायन/बायोएजेन्ट	रु0/हे0	500
	– खरपतवार नाशी	रु0/हे0	500
5.	**स्रोत संरक्षण तकनीकी/यंत्र/ऊर्जा प्रबन्धन**		
	– हस्तचालित स्प्रेयर	रु0/मशीन	600
	– पावर नैपसेक स्प्रेयर	रु0/मशीन	3000
	– सीडड्रिल/मल्टीक्राप प्लान्टर/जीरोटिल सीडड्रिल/जीरो टिल मल्टी क्राप प्लान्टर/रिज फरो प्लान्टर/पावर वीडर	रु0/मशीन	15000

	– रोटावेटर	रु0/मशीन	35000
	– लेजर लैण्ड लेवलर	रु0/मशीन	150000
	– पैडी थ्रेशर/मल्टीक्राप थ्रेशर	रु0/मशीन	40000
	– चीजलर	रु0/मशीन	8000
	– ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर	रु0/मशीन	10000
6.	**सिंचाई प्रबन्धन**		
	– पम्पसेट	रु0/मशीन	10000
	– स्प्रिंकलर सेट	रु0/सेट	10000
	– मोबाइल स्प्रिंकलर रेनगन	रु0/रेनगन	15000
	– पानी ले जाने हेतु पाईप	रु0/सेट या रु0 25/मी0	15000
7.	**प्रशिक्षण**–फसल पद्धति आधारित	रु0/प्रशिक्षण	14000

नोटः

1. क्रमांक 3 से 6 तक मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य होगा।
2. 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली उन्नतशील प्रजातियों के बीजों पर ही अनुदान अनुमन्य।

स. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना वर्ष 2015-16 में कृषकों को अनुमन्य सुविधाएं (चावल घटक)

क्रम सं0	मद का नाम	इकाई	धनराशि (रु0 में)
1.	**क्लस्टर प्रदर्शन (प्रत्येक 100 हे0) (निःशुल्क)**	रु0/हे0	7500
2.	**फसल पद्धति प्रदर्शन (निःशुल्क)**	रु0/हे0	12500
3.	**बीज/प्रमाणित बीज वितरण**		
	– उन्नतशील प्रजातियों के बीज	रु0/कु0	1000
	– संकर बीज	रु0/कु0	5000
4.	**कृषि रक्षा/भूमि रक्षा प्रबन्धन**		
	– सूक्ष्म पोषक तत्व	रु0/हे0	500
	– कृषि रक्षा रसायन/बायोएजेन्ट	रु0/हे0	500
	– खरपतवार नाशी	रु0/हे0	500
5.	**स्रोत संरक्षण तकनीकी/यंत्र/ऊर्जा प्रबन्धन**		
	– कोनोवीडर	रु0/मशीन	600
	– हस्तचालित स्प्रेयर	रु0/मशीन	600
	– पावर नैपसेक स्प्रेयर	रु0/मशीन	3000

	– सीडड्रिल/मल्टीक्राप प्लान्टर/जीरोटिल सीडड्रिल /जीरो टिल मल्टी क्राप प्लान्टर/रिज फरो प्लान्टर /पावर वीडर	रु0/मशीन	15000
	– ड्रम सीडर	रु0/मशीन	1500
	– रोटावेटर	रु0/मशीन	35000
	– लेजर लैण्ड लेवलर	रु0/मशीन	150000
	– पैडी थ्रेशर/मल्टीक्राप थ्रेशर	रु0/मशीन	40000
	– सेल्फ प्रोपेड पैडी ट्रान्सप्लान्टर	रु0/मशीन	75000
6.	**सिंचाई प्रबन्धन**		
	– पम्पसेट	रु0/मशीन	10000
	– पानी ले जाने हेतु पाईप	रु0/सेट या रु0 25/मी0	15000
7.	**प्रशिक्षण**–फसल पद्धति आधारित	रु0/प्रशिक्षण	14000

नोटः

1. क्रमांक 3 से 6 तक मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य होगा।
2. 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली उन्नतशील प्रजातियों के बीजों पर ही अनुदान अनुमन्य।

द. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना वर्ष 2015–16 में कृषकों को अनुमन्य सुविधाएं (कोर्स सीरियल घटक)

क्रम सं0	मद का नाम	इकाई	धनराशि (रु0 में)
1.	**क्लस्टर प्रदर्शन (प्रत्येक 100 हे0) (निःशुल्क)** (मक्का, ज्वार, बाजरा तथा जौ फसल)	रु0/हे0	5000
	–उन्नतशील/संकुल प्रजातियों के बीज (मक्का, ज्वार, बाजरा के संकुल तथा जौ की उन्नतशील प्रजातियों पर)	रु0/कु0	1500
	– संकर बीज (मक्का, ज्वार तथा बाजरा)	रु0/कु0	5000

नोटः– 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली संकुल तथा उन्नतशील प्रजातियों के बीजों पर ही अनुदान अनुमन्य है।

य. कामर्शियल क्राप्स मद के अन्तर्गत कृषकों को अनुमन्य सुविधाएं

क्रम सं0	कार्यक्रम	इकाई	कपास	जूट	गन्ना
1.	एकीकृत फसल प्रबन्धन	हे0	7000	–	–
2.	देशी प्रजाति का प्रदर्शन	हे0	8000	–	–
3.	अन्तः फसली प्रदर्शन	हे0	7000	–	–
4.	हाई डेन्सिटी प्लान्टिंग सिस्टम (एच0डी0पी0एस0) ट्रायल	हे0	9000	–	–
5.	अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन (एफ0एल0डी0) उत्पादन तकनीकी हेतु	हे0	–	8000	–
6.	गन्ने के साथ सहफसली खेती	हे0	–	–	8000

नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी
(एन0एम0ए0इ0टी0)

11वीं योजनाकाल में भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग की 17 विभिन्न स्कीमों के माध्यम से क्रान्तिक निवेशों एवं उन्नत शस्य विधियों की ग्राह्यता/बढ़ावा सहित कृषि प्रौद्योगिकी को प्रसारित किया जा रहा था। वर्ष 2010 में एक्सटेंशन मशीनरी को सुदृढ़ करने तथा इन स्कीमों के कार्यक्रमों से कृषि तकनीक प्रबन्ध अभिकरण (ATMA) की छतरी के नीचे सर्वाधिक लाभ उद्देश्य से **''प्रसार सुधार स्कीम''** प्रारम्भ की गयी। इसी उद्देश्य के लिए अगले कदम के रूप में इन स्कीमों को मिलाकर **''नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी (NMAET) सुविचारित की गयी''**। इसमें 4 सब मिशन सम्मिलित हैं–

1. कृषि प्रसार के लिए उप मिशन (SMAE)
2. बीज एवं रोपण सामग्री के लिए उप मिशन (SMSP)
3. कृषि यंत्रीकरण हेतु उप मिशन (SMAM)
4. कृषि रक्षा एवं पादप निरोध हेतु उप मिशन (SMPP)

अ. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (SMAE) योजना–

कृषि प्रसार के लिए उप मिशन (SMAE) जागरूकता पैदा करने तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी के कृषि एवं एलाइड सेक्टर में अधिकाधिक उपयोग पर केन्द्रित होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित योजनायें सम्मिलित थीं–

(क) केन्द्र पुरोनिधारित योजनाएं–

1. सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर एक्सटेंशन रिफार्म्स
2. नेशननल ई–गवर्नेन्स प्लान–एग्रीकच्चर

(ख) सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स–

1. मास मीडिया सपोर्ट टू एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन
2. एग्रीक्लीनिक्स एण्ड एग्री–बिजनेस सेंटर्स (ACABC)
3. एक्सटेंशन सपोर्ट टू सेंट्रल इन्स्टीट्यूट्स
4. स्ट्रेंथनिंग/प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल इनफारमेशन सिस्टम इनक्लूडिंग किसान कॉल सेंटर्स (KCC)

- **योजना का पूर्व नाम** : केन्द्र पुरोनिधानित सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फार एक्सटेंशन रिफार्म्स (ATMA) योजना, अब यह योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का मुख्य अंग है।

- **योजना का प्रारम्भ** : वर्ष 2005–06 में देश के सभी राज्यों (उत्तर प्रदेश सहित) के 267 जनपदों में चलाई गई।
- **व्यवहारिक क्रियान्वयन** : वर्ष 2006–07 से प्रारम्भ हुआ।
- **कार्य क्षेत्र** : राज्य के समस्त 75 जनपदों में।

वित्त पोषण

केन्द्र पुरोनिधानित योजना केन्द्रांश

सामान्य कार्यक्रमः

- ❖ निजी एवं सहकारी क्षेत्रों के प्रसार कार्मिकों के दक्षता उन्नयन हेतु प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम तथा उनके तकनीकी एवं प्रबन्धकीय क्षमता के विकास हेतु मैनेज हैदराबाद द्वारा संचालित पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट के कोर्स का निःशुल्क आयोजन।
- ❖ कृषक प्रशिक्षणों का आयोजन।
- ❖ प्रदर्शनों का आयोजन।
- ❖ कृषक–वैज्ञानिक संवादों का आयोजन।
- ❖ किसान–मेला / कृषि प्रदर्शनियों का आयोजन।
- ❖ कृषक गोष्ठी एवं क्षेत्र दिवसों का आयोजन।
- ❖ कृषकों में जागरूकता पैदा करने तथा दक्षता विकास हेतु भ्रमणों का आयोजन।
- ❖ कृषक हितार्थी समूहों का गठन एवं क्षमता विकास।
- ❖ महिला कृषकों के साथ खाद्य सुरक्षा समूहों का गठन।
- ❖ कृषि विकास में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाना।
- ❖ फार्म स्कूलों का आयोजन।
- ❖ कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों की (CRS) स्थापना।
- ❖ कृषि से सम्बन्धित सफलता की कहानियों का प्रकाशन एवं प्रसार।
- ❖ कृषकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए राज्य जनपद एवं विकास खण्ड स्तरीय कृषक पुरस्कार।
- ❖ एग्री–क्लीनिक स्कीम के अन्तर्गत 8136 प्रशिक्षित एग्रीप्रीन्यूर्स, 4161 प्रशिक्षित एग्रीप्रीन्यूर्स द्वारा एग्री क्लीनिक का संचालन एवं 255 एग्रीप्रीन्यूर्स के माध्यम से प्रसार–कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- ❖ इनोवेटिव टेक्नालॉजी डिसेमिनेशन कम्पोनेन्टस अन्तर्गत डिस्प्ले बोर्ड, पीकों प्रोजेक्टर,

लो कास्ट फिल्म प्रोडक्शन, हैण्ड हेल्ड डिवाइस, काला जत्था एवं अन्य नवोन्मेषी प्रेक्टिसेस।

- ❖ फार्मर पोर्टल पर कृषकों हेतु पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज, फ्लायर, पम्फलेट आदि का प्रदर्शन।
- ❖ एस0एम0एस0/एम0 किसान पोर्टल के माध्यम से कृषकों को सामयिक परामर्श एवं एडवायजरी उपलब्ध कराना।
- ❖ किसान काल सेंटर के टोलफ्री नं0 1800–180–1591 के माध्यम से कृषकों को कृषि संबधी जानकारी एवं परामर्श उपलब्ध कराया जाना।
- ❖ राज्य सरकार द्वारा कृषि में प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में 1000 कृषि केन्द्रों (Agri Junction) की स्थापना जिसमें प्रत्येक प्रशिक्षित बेरोजगार को रु0 70,500.00 की अधिकतम सहायता।

अ) सब मिशन आन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के अन्तर्गत कृषकों को देय सुविधाएं–

कार्य क्षेत्र– प्रदेश के समस्त जनपद

गतिविधियाँ	विवरण	व्यय निर्धारण की सीमा	अभ्युक्ति
1–कृषक प्रशिक्षण	अ– अंतर्राज्यीय	रु0 1250/–प्रति कृषक दिवस	औसतन 01 कृषक प्रति विकासखण्ड, 7 दिवसीय
	ब– राज्य के अन्दर	रु0 1000/–प्रति कृषक दिवस	औसतन 02 कृषक प्रति विकासखण्ड, 5 दिवसीय
	स– जनपद के अन्दर (आवासीय)	रु0 400/–प्रति कृषक दिवस	औसतन 20 कृषक प्रति विकासखण्ड, 2 दिवसीय
	द– जनपद के अन्दर	रु0 250/–प्रति कृषक दिवस	औसतन 25 कृषक प्रति विकासखण्ड, 1 दिवसीय
2–प्रदर्शन	कृषि	रु0 3000/–प्रति प्रदर्शन (एक एकड़)	20 प्रदर्शन प्रति विकास खण्ड
	सहयोगी विभाग	रु0 4000/–प्रति प्रदर्शन (एक एकड़)	8 प्रदर्शन प्रति विकास खण्ड
3–कृषक भ्रमण	अ– अंतर्राज्जीय	रु0 800/–प्रति कृषक दिवस	औसतन 2 कृषक प्रति विकासखण्ड, 10 दिवसीय

	ब– राज्य के अन्दर	रु0 400/–प्रति कृषक दिवस	औसतन 10 कृषक प्रति विकासखण्ड, 5 दिवसीय
	स– जनपद के अन्दर	रु0 300/–प्रति कृषक दिवस	औसतन 100 कृषक प्रति विकासखण्ड, 1 दिवसीय
4–कृषक समूहों का गठन	कैपिसिटी बिल्डिंग	रु0 5000/–प्रति समूह (10 से 15 कृषकों का समूह)	5 कृषक प्रति विकासखण्ड
5–कृषक पुरस्कार	अ– राज्य स्तर पर	रु0 20000/–, रु0 15000/–, रु0 12000/–क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार	30 कृषक
	ब– जनपद स्तर पर	रु0 3500/–, रु0 2500/– क्रमशः प्रथम, द्वितीय पुरस्कार	32 कृषक प्रति जनपद
	स– विकास खण्ड स्तर पर	रु0 2000/– प्रति कृषक	5 कृषक प्रति विकास खण्ड
6–किसान मेला	अ– राज्य स्तर	रु0 600000/–	कृषकों के लिये निःशुल्क
	ब– जनपद स्तर	रु0 400000/–प्रति मेला	कृषकों के लिये निःशुल्क
7–कृषक वैज्ञानिक संवाद	जनपद स्तर पर (1 खरीफ में, 1 रबी में)	रु0 20000/– प्रति संवाद	कुल 2 संवाद प्रति जनपद प्रति वर्ष
8–किसान गोष्ठी/ फीलड–डे का आयोजन	विकासखण्ड स्तर पर (1 खरीफ में, 1 रबी में)	रु0 15000/–प्रति गोष्ठी प्रति विकास खण्ड	कुल दो गोष्ठी प्रति विकास खण्ड प्रति वर्ष निःशुल्क
9–फार्म स्कूल	प्रति वर्ष विकासखण्ड में	रु0 29414/– प्रतिफार्म स्कूल	न्यूनतम 4 फार्म स्कूल/ प्रति विकास खण्ड/ लगभग 25 परीक्षार्थी कृषक प्रति फार्म स्कूल

उक्त के अतिरिक्त वांछित सूचनाः

सुविधाओं की प्राप्ति हेतु विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक टेक्नालॉजी टीम, सहायक विकास अधिकारी कृषि, ब्लाक टेक्नोलॉजी मैनेजर एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ उनके अतिरिक्त यदि कोई कठिनाई आती है, जो जिला स्तर पर उप परियोजना निदेशक, आत्मा एवं उप कृषि निदेशक

प्रसार से सम्पर्क करें।

ब) सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल SMSP (बीज ग्राम) कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकों को अनुमन्य अनुदानः

कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने में बीज की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण योगदान है। उच्च गुणवत्ता के बीज के प्रयोग से ही लगभग 15–20 प्रतिशत उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, अतएवं बीज प्रतिस्थापन दर की प्राप्ति में बीज ग्राम योजना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। खरीफ–2015 एवं रबी 2015–16 के बीजों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 50 प्रतिशत भारत सरकार एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित बीज ग्राम योजनान्तर्गत गुणात्मक बीज उत्पादन की योजना है।

योजना का नाम : NMAET अन्तर्गत SMSP में बीज ग्राम योजना (50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश)

उद्देश्य : कृषकों के स्तर पर गुणवत्तायुक्त बीजों का उत्पादन की तकनीक को सुदढ़ करना।

कार्यदायी संस्था : कृषि विभाग, उ0प्र0।

कार्य क्षेत्र : प्रदेश के समस्त विकास खण्ड।

क्रम सं0	फसल का नाम	आधारीय बीज मूल्य पर देय अनुदान	अभ्युक्ति
1.	दलहनी एवं तिलहनी	बीज मूल्य का 60 प्रतिशत	प्रति एकड़ क्षेत्र हेतु
2.	धान्य फसलों पर	बीज मूल्य का 50 प्रतिशत	प्रति एकड़ क्षेत्र हेतु
3.	प्रशिक्षण पर	एक दिवसीय तीन प्रशिक्षण निःशुल्क	

खरीफ–2015		
योजना का कार्यक्रम	**निर्धारित लक्ष्य**	**भारत सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि**
बीज वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य	20809 कु0	52030 हजार
प्रशिक्षण	1354 (150 के बैच में)	20910 हजार

रबी–2015–16		
योजना का कार्यक्रम	**निर्धारित लक्ष्य**	**भारत सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि**
बीज वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य	39808 कु0	107713.152 हजार
प्रशिक्षण	1141 (150 के बैच में)	17130 हजार

बीजोत्पादन हेतु आधारीय बीज की उपलब्धता निर्धारित अनुदान पर चयनित कृषकों को समय से उपलब्ध कराना तथा बीजोत्पादन की तकनीक का प्रशिक्षण कृषकों को उपलब्ध कराना बीज ग्राम योजना का मुख्य कार्यक्रम है।

स. सब मिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन

उन्नतशील कृषि यंत्रों/मशीन का कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि उत्पादन में कृषि यंत्रों के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजशन योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में उक्त योजना का संचालन किया जायेगा। प्रदेश में लगभग 92.5 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक हैं जिनकी जोत भी कम है एवं आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अधिक लागत के आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे–सेल्फ प्रोपेड पैडी ट्रान्सप्लांटर, सेल्फ प्रोपेड रीपर, पावर टिलर, सीड ड्रिल पावर थ्रेसर, पैडी ट्रांसप्लांटर, रोटावेटर, स्ट्रा रीपर, कम बाइंडर आदि क्रय कर सकें। ऐसी स्थिति में कृषकों को आधुनिक कृषि यंत्रों का अनुदान पर वितरण कराकर एवं उत्पादकता में वृद्धि कर अपनी एवं प्रदेश की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान के साथ–साथ कृषि की विकास दर में भी वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी।

1. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन में विभिन्न यंत्रों पर देय अनुदान :

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन में वित्तीय वर्ष 2015–16 में देय अनुदान का विवरण निम्नवत् है :–

क्र. सं.		कृषि यंत्र का नाम	प्रति यंत्र पर देय अनुदान की धनराशि (रु0 लाख में)		अभ्युक्ति
			अनुसूचित जाति/अनु0जन जाति/लघु एवं सीमांत तथा महिला लाभार्थी	अन्य	
			अधिकतम अनुमन्य अनुदान प्रति मशीन/यंत्र प्रति लाभार्थी	अधिकतम अनुमन्य अनुदान प्रति मशीन/यंत्र प्रति लाभार्थी	
1		2	3	4	5
मानव/बैल चलित कृषि यंत्र :					
अ.	1	लैण्ड डेवलपमेन्ट टिलेज एण्ड सीड बेड प्रीप्रेशन इक्यूपमेन्ट	0.10	0.08	
ब.	1	सोइंग एण्ड प्लांटिंग इक्यूपमेन्ट – पैडी प्लांटर, सीड–कम–फर्टीलाइजर ड्रिल, रेज्ड बेड प्लांटर, प्लांटर, डिब्लर, इक्यूपमेन्ट फॉर रेजिंग पैडी नर्सरी	0.10	0.08	
	2	ड्रम सीडर (चार रो से कम)	0.015	0.012	

	3	ड्रम सीडर (चार रो से अधिक)	0.019	0.015	
स.	1	हार्वेस्टिंग एण्ड थ्रेसिंग इक्यूपमेन्ट – ग्राउण्ड नट स्ट्रीपर, थ्रेसर, विनोइंग फैन, ट्री क्लाइम्बर, हार्टीकल्चर हैण्ड टूल्स	0.10	0.08	
1	2		3	4	5
	2	चैफ कटर (अधिकतम 3)	0.05	0.04	
	3	चैफ कटर (3 से अधिक)	0.063	0.05	
द.	1	इंटर कल्टीवेशन इक्यूपमेन्ट – ग्रास वीड स्लेशर, वीडर, कोनो वीडर, गार्डन हैण्ड टूल्स	0.006	0.005	

शक्ति चलित कृषियंत्र –

अ.	1	लैण्ड डेवलपमेन्ट टिलेज एण्ड सीड बेड इक्यूपमेन्ट – एम.बी. प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर ब्लेड, केज व्हील, फरो ओपनर, रीजर, वीड स्लेशर, लेजर लैण्ड लेवलर, रिवर्सिबुल मेकेनिकल प्लाऊ	20 हार्स पावर तक	20 से 35 हार्स पावर तक	35 से हार्स पावर तक	20 हार्स पावर तक	20 से 35 हार्स पावर तक	35 से अधिक हार्स पावर तक	
			0.15	0.19	0.44	0.12	0.15	0.35	
	2	रोटावेटर, रोटो पडलर, रिवर्सिबुल हाइड्रोलिक प्लाऊ	0.35	0.44	0.63	0.28	0.35	0.50	
	3	चिजेजल प्लाऊ	0.08	0.10	–	0.06	0.08	–	
ब.	1	सोइंग, प्लांटिंग, रीपिंग एण्ड डिगिंग इक्यूपमेन्ट – पोस्ट होल डिगर, पेटैटो प्लांटर, पोटैटो डिगर, ग्राउण्ड नट डिगर, स्ट्रिपटिल ड्रिल, ट्रैक्टर ड्रान रीपर, ओनियन हार्वेस्टर, राईस स्ट्रा चोपर, रेज्ड बेड प्लांटर, सुगरकेन कटर/स्ट्रीपर, प्लांटर, सीडड्रिल, मल्टीक्राप प्लांटर, जीरोटिल मल्टीक्राप प्लांटर, रेज्ड फरो प्लांटर	0.15	0.19	0.44	0.12	0.15	0.35	
	2	टर्बो सीडर, न्यूमेटिक प्लांटर न्यूमेटिक वेजीटेबिल ट्रान्सप्लांटर, न्यूमेटिक वेजीटेबिल सीडर, हैप्पी सीडर प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन	0.35	0.44	0.63	0.28	0.35	0.50	

स.	1	इंटर कल्टीवेशन इक्यूपमेन्ट ग्रास वीड स्लेशर, राईस स्ट्रा चापर, पावर वीडर	0.15	0.19	0.63	0.12	0.15	0.50	
द.	1	इक्यूपमेन्ट फॉर रेसिड्यू मैनेजमेन्ट/हे. एण्ड फारेज इक्यूपमेन्ट – सुगरकेन थ्रेसर कटर, कोकोनट फाउण्ड चापर, रैक, बॉलर्स, स्ट्रारीपर	20 हार्स पावर तक	20 से 35 हार्स पावर तक	35 से अधिक हार्स पावर तक	20 हार्स पावर तक	20 से 35 हार्स पावर तक	35 से अधिक हार्स पावर तक	
य.	1	हार्वेस्टिंग एण्ड थ्रेसिंग इक्यू पमेन्ट (आपरेटेड बाई इंजन/इलेक्ट्रिक मोटर, पावर टिल, ट्रैक्टर चालित 3 से 20 हार्सपावर) – ग्राउण्ड नट पाड स्ट्रीपर, थेसर, ब्रश कटर, मल्टीक्राप थ्रेसर, पैडी थ्रेसर, ब्रश कटर, चेप कटर (पावर आपरेटेड)	0.20	0.25	0.63	0.16	0.20	0.50	

क्र. सं.	**कृषि यंत्र का नाम**		**प्रति यंत्र पर देय अनुदान की धनराशि (रु0 लाख में)**			
			अनुसूचित जाति/अनु0जन जाति/लघु एवं मशीन/यंत्र प्रति लाभार्थी		**अन्य लाभार्थी**	
र.	1	ट्रैक्टर	अधिकतम अनुमन्य अनुदान प्रति मशीन/यंत्र प्रति लाभार्थी	अनुदान का प्रतिशत	अधिकतम अनुमन्य अनुदान प्रति मशीन/यंत्र प्रति लाभार्थी	अनुदान का प्रतिशत
		ट्रैक्टर (08–15 पी.टी.ओ. एच.पी.)	1.00	35%	0.75	25%
		ट्रैक्टर (15–20 पी.टी.ओ. एच.पी.)	1.00	35%	0.75	25%

		ट्रैक्टर (20–40 पी.टी.ओ. एच.पी.)	1.25	35%	1.00	25%
		ट्रैक्टर (40–70 पी.टी.ओ. एच.पी.)	1.25	35%	1.00	25%
	2	पावर टिलर				
		पावर (8 बी.एच.पी. से कम)	0.50	50%	0.40	40%
		पावर (8 बी .एच.पी. तथा 8 बी.एच.पी. से अधिक)	0.75	50%	0.60	40%
	3	राइस ट्रांसप्लांटर				
		सेल्फ प्रोपेल्ड राइस ट्रान्सप्लांटर 4 रो	0.94	50%	0.75	40%
		4–8 रो से अधिक 8–16 रो से अधिक	2.00	40%	2.00	40%
	4	सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनरी –				
		रीपर कम बाइंडर				
		रीपर कम बाइंडर	1.25	50%	1.00	40%

2. पात्र कृषकों का चयन :

1. पात्र कृषकों का चयन शासनादेश संख्या–2541/12–3–2007–100(17)/96 कृषि अनुभाग–3 दिनांक 11.09.2007 वा शासनादेश संख्या–3544/12–2–2012–16/2012 दिनांक 05 नवम्बर, 2012 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, जिसमें उप कृषि निदेशक की अध्यक्षता में जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो उप जिलाधिकारी के स्तर से कम न हो, सदस्य और सेवा अभियन्ता, एग्रो–सदस्य तथा जिला कृषि अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
2. समस्त चयनित लाभार्थियों में से 16 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति तथा 8 प्रतिशत अनुसचित जनजाति के होने चाहिए जिससे स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का शत–प्रतिशत उपभोग कर सके।
3. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को तथा महिला कृषकों को कृषि यंत्रों के वितरण में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

3. अनुदान पर कृषि यंत्र वितरित किये जाने की प्रक्रिया :

1. भारत सरकार के केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों अथवा भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा नामित संस्थाओं द्वारा परीक्षण किये गये कृषि यंत्रों पर ही अनुदान देय

होगा जिस कृषि यंत्र की कीमत रु0 10,000/– से अधिक हो उन यंत्रों को या तो भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण–पत्र अर्थात आई0एस0आई0 गुणवत्ता का मार्क प्राप्त हो या उल्लिखित संस्थाओं द्वारा यंत्रों का परीक्षण कर पास किया गया हो। क्रय किये गये यंत्र का विभागीय सत्यापन किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जाता है। शासनादेश सं03544/12–2–2012–61/2012 दिनांक 05 नवम्बर 2012 के अनुसार अनुदान की धनराशि कृषक के बैंक एकाउन्ट में सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से स्थानान्तरित की जाती है।

2. चयनित लाभार्थी कृषकों को शासनादेश संख्या–2541/12–3–207–100(17)/96 कृषि अनुभाग–3 दिनांक 11.09.2007 के प्राविधान बिन्दु–3 के अनुसार कृषक निर्धारित विशिष्टियों के आई0एस0आई0 मार्क कृषि यंत्र स्थानीय बाजार से क्रय करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं।

द. सब मिशन ऑन प्लान्ट प्रोटेक्शन एण्ड प्लान्ट क्वारंटाइन (एस0एम0पी0पी0) के अन्तर्गत स्ट्रेन्थनिंग एण्ड माडर्नाइजेशन आफ पेस्ट मैनेजमेंट एप्रोच योजनाः–

योजना में दी जाने वाली सुविधाएं:

1. **सहारनपुर मण्डल में आई0पी0एम0 प्रयोगशाला के भवन का निर्माणः** सहारनपुर मण्डल में आई0पी0एम0 प्रयोगशाला अस्थायी रूप से उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कैराना के कार्यालय से संचालित की जा रही है। जिसके कारण पर्याप्त रूप से स्थान उपलब्ध न होने के कारण प्रयोगशाला में सुचारू रूप से उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अतः भारत सरकार की दिशा–निर्देश एवं मापदण्ड के अनुरूप कैराना, उप संभाग प्रांगण में आई0पी0एम0 प्रयोगशाला भवन का निर्माण प्रस्तावित है।
2. **प्रदेश में स्थापित 9 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरणः** प्रदेश में लगातार बायोपेस्टीसाइड की बढ़ती हुई मॉग को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में स्थापित 9 आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रयोगशाला की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए उपकरण/संयत्र क्रय किये जाने का प्रस्ताव है।
3. **प्रदेश के बायोपेस्टीसाइड्स की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित किया जाना :** आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं पर उत्पादित किये गये बायोपेस्टीसाइड्स की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु अभी तक कोई भी विभागीय प्रयोगशाला प्रदेश में स्थापित न होने के कारण इसके गुणवत्ता परीक्षण में कठिनाई हो रही है। जिसके दृष्टिगत पूर्व में संचालित आई0पी0एम0 प्रयोगशाला मुरादाबाद में बायोपेस्टीसाइड्स की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

नेशनल मिशन ऑन ऑयल एण्ड ऑयल पॉम (N.M.O.O.P) के अन्तर्गत तिलहन कार्यक्रम खरीफ, रबी एवं जायद 2015–16 हेतु अनुमन्य अनुदान सुविधाएं–

अ. मिनी मिशन 1–तिलहन कार्यक्रम–

क्रम सं0	कार्यमद	अनुमन्य अनुदान दर	
1.	ब्रीडर बीज क्रय एवं उपयोग	तिलहन ब्रीडर बीज क्रय कर प्रयोग करने पर क्रय किये गये ब्रीडर बीज के आई0सी0ए0 द्वारा निर्धारित मूल्य का शतप्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।	
2.	आधारीय बीज उत्पादन	तिलहनी फसलों रु0 1000/– (रुपये एक हजार मात्र) प्रति कु0 की दर से एवं विगत 05 वर्षों में अधिसूचित समस्त प्रजाति/हाईब्रिड पर रु0 1100/– (रुपये एक हजार एक सौ मात्र) प्रति कु0 की दर से अनुदान अनुमन्य है।	
3.	प्रमाणित बीज उत्पादन	उत्पादित प्रमाणित बीज के क्रय होने पर विगत 15 वर्ष तक अधिसूचित समस्त तिलहनी फसलों रु0 1000/– (रुपये एक हजार मात्र) प्रति कु0 की दर से एवं विगत 05 वर्षों में अधिसूचित समस्त प्रजाति/हाईब्रिड पर रु0 1100/– (रुपये एक हजार एक सौ मात्र) प्रति कु0 की दर से अनुदान अनुमन्य है।	
4.	प्रमाणित बीज वितरण	15 वर्षों में अधिसूचित समस्त प्रजातियों पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 1200/– (रुपये बारह सौ मात्र) प्रति कु0 जो भी कम हो तथा 10 वर्षों तक की अधिसूचित संकर प्रजातियों पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 2500/– (रुपये दो हजार पॉच सौ मात्र) प्रति कु0 जो भी कम हो की दर से अनुदान कृषकों को क्रय स्रोत पर अनुमन्य है।	
5.	खण्ड प्रदर्शन	**फसल**	**अनुमन्य अनुदान दर**
		राई/सरसों	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 3000 प्रति हे0
		सूरजमुखी	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 4000 प्रति हे0
		अलसी	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 3000 प्रति हे0

		सीसेम (तिल)	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 3000 प्रति हे0
		मूंगफली	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 7500 प्रति हे0
		सोयाबीन	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 4500 प्रति हे0
		नीगर, कैस्टर	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 3000 प्रति हे0
6.	आई0पी0एम0 प्रदर्शन	आई0पी0एम0 प्रदर्शन (10 हे0) अन्तर्गत फार्मर्स फील्ड स्कूल एवं आई0पी0एम0 प्रदर्शन/प्रशि क्षण हेतु कुल रु0 26700 का अनुदान अनुमन्य है।	
7.	कृषक प्रशिक्षण/गोष्ठी	इस मद में रु0 24000/– (रु0 चौबीस हजार मात्र) प्रति प्रशिक्षण 30 कृषकों के 02 दिवसीय बैच हेतु अनुमन्य है। प्रत्येक कृषक का रु0 400 प्रतिदिन का व्यय भारित किया जायेगा।	
8.	प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण	इस मद में रु0 36000/– (रु0 छत्तीस हजार मात्र) प्रति दो दिवसीय प्रशिक्षण में 20 अधिकारियों के बैच हेतु अनुमन्य है।	
9.	जिप्सम/पाइराइट/सल्फर एवं डोलोमाइट आदि का वितरण	जिप्सम वितरण मद में पदार्थ के मूल्य का 50 प्रतिशत और ढुलाई व्यय या अधिकतम रु0 750 प्रति हे0 जो भी कम हो की दर से अनुदान अनुमन्य है।	
10.	राइजोबियम कल्चर/पी0एस0बी0/जेड0 एस0बी0/अजोटोबैक्टर/ माइक्रो राइजा वितरण	मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रू0 300 प्रति हे0 जो भी कम हो दर से कृषकों को अनुदान अनुमन्य है।	
11.	कृषि रक्षा रसायन/तृणनाशी/बायो पेस्टीसाइड/सूक्ष्मतत्व/ बायोफर्टीलीइजर	मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रू0 500 प्रति हे0 जो भी कम हो एवं बायोफर्टीलाइजर पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रू0 300 प्रति हे0 जो भी कम हो की दर से कृषकों को अनुदान अनुमन्य है।	
12.	एन0पी0बी0 वितरण	मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रू 0–500 प्रति हे0 जो भी कम हो की दर से कृषकों को अनुदान अनुमन्य है।	

13.	कृषि रक्षा उपकरण/इकोफ्रेन्डली लाइट ट्रैप	कृषि रक्षा उपकरण	अनुबन्ध अनुदान की दर
		मानव चालित स्प्रेयर /डस्टर/फुट स्प्रेयर /नैपसेक (आई0एस0आई0 मार्क) इकोफ्रैन्डली लाइट ट्रैप	क. उपकरण के मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा रूपये 600/– प्रति उपकरण जो भी कम हो की दर से अनुदान अनुमन्य है। ख. लघु/सीमांत/अनु जाति/जन जाति के कृषकों एवं न्यूनतम 5 महिलाओं के समूह को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान अनुमन्य कराया जायेगा जो कि मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रू800 प्रति उपकरण, जो भी कम हो की दर से देय होगा।
		शक्ति चालित नैपसेक (आई0एस0आई0 मार्क) 16 लीटर क्षमता तक	क. उपकरण के मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 3000/– प्रति उपकरण जो भी कम हो की दर से अनुदान अनुमन्य है। ख. लघु/सीमांत/अनु0जाति/जन जाति के कृषकों एवं न्यूनतम 05 महिलाओं के समूह को 10 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य कराया जायेगा जो कि मूल्य का 60 प्रतिशत अथवा रूपये 3800/– प्रति उपकरण जो भी कम हो की दर से देय होगा।

14.	उन्नतशील कृषि यंत्र वितरण	मानव/बैल चालित कृषि यंत्र का 40 प्रतिशत या अधिकतम रु0 8000/– जो भी कम हो कि दर से ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र यथा पर यंत्र क मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम रु0 50000/– जो भी कम हो
15.	जी0आई0 बखारी वितरणी	10 कुन्तल क्षमता तक की बखारी हेतु मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 1000/– का अनुदान।
16.	स्प्रिंकलर इरीगेशन	मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 7500/–
17.	सिंचाई जल को स्त्रोत से खेत तक ले जाने हेतु पाइप का वितरण	प्रत्येक पात्र कृषक को अधिकतम 600 मीटर (75 एम.एम., 90 एम.एम., 110 एम .एम., 125 एम .एम., व 140 एम .एम., व्यास के आई .एस. –14151–2(2008) के प्रत्येक 6 मीटर लम्बाई के एच .डी.पी.ई. पाइप पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 25/– प्रति मीटर)

ब. मिनी मिशन-III Tree bome Oilseeds (वृक्षजनित तेल कार्यक्रम)

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>मद का नाम</th><th colspan="3">अनुदपन अनुमन्य कार्यक्रम</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>बंजर भूमि पर नर्सरी एवं पौधरोपण</td><td colspan="3">भारत सरकार द्वारा योजना प्रथम वर्ष में बंजर भूमि पर नीम, महुआ एवं जैट्रोफा की नर्सरी लगाने हेतु 100 प्रतिशत अधिकतम तालिका में अंकित वर्णित सीमा के अन्तर्गत अनुदान अनुमन्य किया है–</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>तेलजनित वृक्ष का नाम</td><td>पेड़ों की संख्या प्रति हे.</td><td>वृक्षारोपण लागत प्रति हे.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>नीम</td><td>400</td><td>17,000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>महुआ</td><td>200</td><td>15,000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>जैट्रोफा</td><td>2500</td><td>41,000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पौधों के रख–रखाव पर व्यय</td><td colspan="3">भारत सरकार द्वारा योजना के द्वितीय वर्ष से नीम, महुआ एवं जैट्रोफा के पौधरोपड़ के पश्चात् रख–रखाव हेतु अधिकतम 100 प्रतिशत किन्तु निम्नलिखित वर्णित सीमा के अन्तर्गत अनुदान अनुमन्य किया है, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2015–16 से किया जायेगा–</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>तेलजनित वृक्ष का नाम</td><td>योजना पूर्ण होने की अवधि (वर्ष)</td><td>योजना पूर्ण होने तक वृक्षारोपण के रख–रखाव पर होने वाली लागत प्रति हे . (रु. में)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>नीम</td><td>5</td><td>2000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>महुआ</td><td>8</td><td>2000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>जैट्रोफा</td><td>2</td><td>3200</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>कृषक प्रशिक्षण/गोष्ठी</td><td colspan="3">नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी का कृषकों तक शीघ्र एवं प्रभावी हस्तानान्तरण करने के लिए कृषक प्रशिक्षण प्रमुख उपादान है। भारत सरकार द्वारा इस मद में रु0 2400/– (रु0 चौबीस हजार मात्र) प्रति प्रशिक्षण 30 कृषकों के 0–2 दिवसीय बैच हेतु अनुमन्य है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण</td><td colspan="3">नवीनतम कृषि प्रौद्याोगिकी का कृषकों तक शीघ्र एवं प्रभावी हस्तान्तरण करने के लिए प्रसार अधिकारी मद में रु0 36000/– (रु0 छत्तीस हजार मात्र) प्रति दो दिवसीय प्रशिक्षण में 20 अधिकारियों के बैच हेतु अनुमन्य है।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>इन्टर क्रापिंग (सहुफसली खेती)</td><td colspan="3">गन्ना तथा अन्य फसलों के साथ इन्टर क्रापिंग (सहफसली खेती) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कराने पर विशेष जोर दिया जाय।</td></tr>
</table>

नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर

अ. रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट (आर0ए0डी0)

कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को दी जाने वाली सुविधाएं :

1. एक कृषक परिवार को 2 हेक्टेयर जोत की सीमा तक सम्पूर्ण योजनाकाल में अधिकतम रु0 1.00 लाख तक का अनुदान सुविधा देय है।
2. विभिन्न कृषि प्रणाली (फार्मिंग सिस्टम) अन्तर्गत देय अनुदान :

क्र.सं.	नाम	मद	कास्ट नोर्म तथा सहायता प्रति हेक्टेअर
क.	फार्मिंग सिस्टम :		
1.	बागवानी आधारित खेती प्रणाली	पौधरोपण+ फसल प्रणाली	उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत रु0 25000/– हे0 तक सीमित
2.	पशुधन आधारित फसल प्रणाली	छोटी जुगाली + मिश्रित खेती + चारागाह।	उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत रु0 25000/हे0 अधिकतम (10 पशु/50 पक्षी + 1.0 हेक्टेयर फसल प्रणाली)
3.	दुधारू पशु आधारित फसल प्रणाली	गाय/भैंस + चारा उत्पादन/मिश्रित खेती	उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत रु0 40000/– हे0 (दो दुधारू पशु + 1.0 हे0 फसल प्रणाली)
4.	ट्र/सिल्वी पाश्चर फार्मिंग सिस्टम (एग्रो–फारेस्ट्री बेस्ड)	पौधरोपण + घास/फसल/फसल प्रणाली	उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 15000/हे0
5.	मत्स्य आधारित फसल प्रणाली	मछली पालन+फल/सब्जी बन्धों पर	उत्पादन लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 25000/हे0
	फसल प्रणाली (धान/गेहूँ/मोटे अनाज/तिलहन/रेशे वाली फसलें/दलहन आधारित फसल पद्धति)	उक्त प्रणालियों में फसल प्रणाली अन्तर्गत उत्पादन लागत में भूमि तैयारी, बीज, उर्वरक/खाद, पौध पोषक तत्व, कृषि रक्षा रसायन तथा खरपतवार नाशक शामिल हैं।	लागत अधिकतम सीमा रु0 1000 /हेक्टेअर/कृाक अधिकतम अनुदान 2 हेक्टेअर तक देय।

ख.	मूल्य सम्वर्द्धन (वैल्यू एडीशन)		
6.	मधुमक्खी पालन		लागत का 40 प्रतिशत, अधिकतम रु0 800 प्रति 8 फ्रेम की कालोनी एवं रु0 800 प्रति छत्ता लाभार्थी तक
7.	साइलेज मेकिंग (वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता के लिए हरा चारा)	चैफ कटर तथा साइलो पिट निर्माण (2100–2500 घन फीट)	रु0 1.25 लाख/कृषक परिवार तक सीमित/साइलो पिट, चैफ कटर तथा वजन संतुलन इकाई के लिए 100 प्रतिशत सहायता।
8.	ग्रीनहाउस (प्राकृतिक हवादान नालीदार संरचना)		लागत का 50 प्रतिशत निम्न सीमा के अनुसार (रु0 530/वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक। प्रति लाभार्थी 4000 प्रति वर्ग मीटर तक सीमित
9.	वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम (समुदायिक के लिए)		10 हेक्टेयर कमाण्ड एरिया के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये अनुदान देय।
10.	वाटर हारवेस्टिंग एण्ड मैनेजमेण्ट		लागत सीमा का 50 प्रतिषत अधिकतम रु0 7500.00
10.1	छोटे आकार के तालाब/पोखरा		परिवार जो मररेगा के लाभार्थी है, मनेरेगा के श्रम घटक एवं इस योजना के सामग्री का समावेष किया जाय।
10.2	लइनिंग ऑफ टेंक/पौण्ड		50 प्रतिषत प्लास्टिक कीमत/आर0सी0सी0 लाइनिंग अधिकतम रु0 25000 प्रति टैक/पौण्ड /कुंआ।
10.3	पाइप वितरण		लागत का 50 प्रतिषत अधिकतम 10000/हेक्टेअर (सहायता 4 हेक्टेअर तक के लाभार्थी/लाभार्थी समूह तक)

10.4	वाटर लिफ्टिंग डिवाइस बिजली/डीजल		लागत का 50 प्रतिशत रु0 15000/– तक सीमित।
11.	लास्अ माइल कनेक्टिविटी		लागत का 50 प्रतिशत रु0 1.25 लाख प्रति यूनिट तक, 25 हेक्टेअर सिंचाई कमाण्ड क्षेत्र।
12.	अ–संसाधन संरक्षण	भू–समतलीकरण, फील्ड बन्डिंग, रिज फरो	लागत का 50 प्रतिशत रु0 4000/हेक्टेअर अधिकतम अनुदान 2 हेक्टेअर प्रति लाभार्थी/समूह।
	ब– कन्टूर बन्ड/खाई खोदना		लागत का 50 प्रतिशत रु0 5000/व्यक्ति की सीमा तक।
13.	अ– वर्मी कम्पोस्ट/जैविक/हरी खाद		लागत का 50 प्रतिशत रु0 125/घन फुट की सीमा तक स्थाई संरचना हेतु रु0 50000/यूनिट और एचडीपीई वर्मी बेड हेतु रु0 8000/यूनिट।
	ब– हरी खाद		लागत का 50 प्रतिशत
14.	कटाई पश्चात् भण्डारण		लागत का 50 प्रतिशत रु0 4000/घन मीटर सीमा तक भण्डारण एवं प्रसंस्करण अधिकतम रु0 2.00 लाख/यूनिट
15.	समस्याग्रस्त मृदा का सुधार	ऊसर भूमि सुधार	लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु0 25000/हेक्टेअर सीमा तक अथवा रु0 5000/लाभार्थी
16.	मृदा जल, फसल प्रबन्धन पर जलवायु परिवर्तन के अनुरूप समेकित कृषि कार्य/कृषि पद्धतियों की अवधारणा हेतु खेतों पर प्रदर्शन सहित कृषक प्रशिक्षण		20 अथवा अधिक प्रतिभागी/कृषकों के लिए प्रति प्रशिक्षण हेतु रु0 1000/– एवं 50 या अधिक सहभागियों के लिए प्रति प्रदर्शन हेतु रु0 20000।

ब. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.) के अन्तर्गत आर्गेनिक फार्मिंग उद्देश्य

- ❖ पर्यावरण संतुलन को कायम रखते हुए, कम लागत वाली कृषि उत्पादन तकनीकी अपनाकर खेती करना।
- ❖ रसायन एवं पेस्टीसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन।
- ❖ कृषि को लाभकारी बनाकर कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार लाना।
- ❖ कृषि निवेशों के मामले में किसान को आत्मनिर्भर बनाना।

योजना के अन्तर्गत चयनित जनपद : प्रदेश के 14 जनपद –झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, मिर्जापुर, कन्नौज, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद एवं गोरखपुर।

कृषकों को देय सुविधा : योजना के अन्तर्गत 50–50 एकड़ का क्लस्टर गठित किया जायेगा। प्रत्येक क्लस्टर में 50 किसान होंगे एवं प्रत्येक किसान की एक एकड़ भूमि सम्मिलित होगी। प्रत्येक क्लस्टर की योजनावधि 3 वर्ष होगी। प्रत्येक क्लस्टर को प्रथम वर्ष में रु0 7,06,740/–, द्वितीय वर्ष में रु0 4,980670/– एवं तृतीय वर्ष में रु0 2,89,590/– की सुविधा आर्गेनिक फार्मिंग हेतु विभिन्न क्रियाकलापों के लिए देय होगी। इस प्रकार 3 वर्ष की योजनावधि में प्रति किसान को एक एकड़ हेतु रु0 29,900/– की सुविधा देय होगी।

स. मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन

योजना का उद्देश्य :

1. प्रदेश के समस्त जनपदों की स्थानिक विशेषता के अनुसार कृषकों के जोतों का मृदा परीक्षरण कर, उस विशेष क्षेत्र हेतु उर्वरक एवं कार्बनिक खादों के सही मात्रा का निर्धारण कर, सही प्रयोग विधि से अवगत कराते हुए उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करना है।
2. मृदा परीक्षण क्षमता विकास हेतु प्रदेश के स्थिर मृदा प्रयोगशालाओं में एटामिक एब्जार्बशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (AAS) की स्थापना कर कृषकों त्वरित मृदा परीक्षण का लाभ उपलब्ध कराना।
3. प्रदेश की उर्वरक गुणनियंत्रण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण कर इनकी क्षमता का विकास करना।
4. टिकाऊ खेती हेतु मृदा स्वास्थ्य को अक्षुण्ण करना।

कार्यक्षेत्र : प्रदेश के 50 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण हेतु एटामिक एब्जार्बशन स्पैक्ट्रोफोटोमीटर (।ै) की स्थापना कर प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण करना, प्रदेश में स्थापित 08 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं में वर्टिकल आटोक्लेव की व्यवस्था करना तथा प्रदेश के 04 उर्वरक गुणनियंत्रण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण करते हुए सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित करना।

सुविधाएँ : कृषकों के खेतों के मृदा नमूनों का मुख्य पोषक तत्वों के साथ ही साथ द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों (लोहा, जस्ता, कापर, मैंगनीज एवं बोरान आदि) का परीक्षण कर, फसलवार संतुलित उर्वरक एवं खादों की मात्रा की संस्तुति देना, कृषकों को बीजोपचार हेतु राइजोबियम, अजोटोबैक्टर एवं पी0एस0वी0 जैव उर्वरक उपलब्ध कराना एवं उर्वरक गुणनियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

द. मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम :

योजना का उद्देश्य : मृदा स्वास्थ्य की गाइड लाइन के अनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों के एक तिहाई कृषकों को प्रथम वर्ष, एक तिहाई कृषकों को द्वितीय वर्ष एवं एक तिहाई कृषकों को तीसरे वर्ष ग्रिड के आधार सिंचाई क्षेत्र के सीमान्त कृषकों के क्षेत्र से 2.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल एक नमूना, सिंचित क्षेत्र के मध्यवर्गीय कृषकों के क्षेत्र से 5.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल से एक नमूना एवं अन्य बड़े कृषकों के क्षेत्र से 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल एक नमूना तथा असिंचित क्षेत्र के जोत से ग्रिड के आधार पर ही प्रत्येक 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर एक नमूना लिया जायेगा। इस प्रकार तीन वर्षों में प्रदेश के समस्त जनपदों के समस्त कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर सभी पोषक तत्वों यथा मुख्य पोषक तत्व, मृदा पी0एच0, जीवांश कार्बन, फास्फोरस, पोटाश, द्वितीय पोषक तत्व गंधक, सूक्ष्म पोषक तत्व– जिंक, लोहा, मैग्नीज, तांबा एवं बोरान का परीक्षण अंकित किया जायेगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत मृदा परीक्षण कार्य की क्षमता का विकास करना जनपद/विकासखण्ड/ग्राम स्तर तक के लक्ष्य निर्धारित करना, मृदा परीक्षण के आधार पर जनपदवार पोषक तत्व प्रबंधन करना तथा जनपद एवं प्रदेश स्तर पर उन्नतशील कृषकों को पोषक तत्व प्रबंधन हेतु जागरूक है। उक्त की जानकारी से कृषकों द्वारा अनावश्यक रूप से रासायनिक उर्वरकों पर अब तक प्रयोग किया जा रहा है। उसमें कमी आयेगी साथ ही साथ उनके द्वारा उर्वरक निवेश में व्यय भी घटेगा, जिससे प्रदेश के सभी कृषक लाभान्वित होंगे।

जनपद स्तर पर वर्ष में ग्रामवार मृदा नमूना एकत्र करने की संख्या निर्धारण/समय/विश्लेषण अवधि का रोस्टर तैयार करना, मृदा का विस्तृत विश्लेषण व मृदा स्तर ज्ञात करना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण, मुख्य फसलों हेतु पोषक तत्वों को प्रबन्धन एवं पूर्ति व्यवस्था करना, कृषकों में जागरूकता पैदा करना तथा ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित कर स्थान विशेष हेतु सुझाव/संस्तुति देने के साथ ही मृदा परीक्षण परिणाम के आधार पर मृदा मानचित्र का निर्माण कराना आदि मुख्य कार्य हैं।

कार्यक्रम में यह विशेष ध्यान दिया जायेगा कि सभी कृषकों को प्रत्येक तृतीय वर्ष उनकी जोतों का स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध हो सके।

सुविधाएं – मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम अन्तर्गत चयनित क्षेत्र/ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रामों से मृदा नमूने प्राप्त कर निःशुल्क मृदा परीक्षण कर क्षेत्र के समस्त कृषकों को निःशुल्क रूप से मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत-पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार (बी0जी0आर0ई0आई0) की योजना

भारत सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना वर्ष 2015–16 में उत्तर प्रदेश हेतु रु0 148.00 करोड़ की धनराशि मात्रांकित की थी तद्न्तर रु0 144.06 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है। उक्त धनराशि में केन्द्रांश 50 प्रतिशत तथा राज्यांश 50 प्रतिशत सम्मिलित है। रु0 144.06 में से रु0 119.18 करोड़ धान के लिए तथा रु0 24.88 करोड़ गेहूँ के लिए स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार की मंशा के अनुसार 01 प्रतिशत कन्टीजेन्सी (रु0 1.426 करोड़) को योजना की स्वीकृत धनराशि में ही सम्मिलित किया जाये। इसी आधार पर योजना स्थानीय रूप से धान घटक के अन्तर्गत रु0 117.766 करोड़ तथा गेहूँ घटक के लिए रु0 24.866 करोड़ तथा कन्टीजेन्सी में रु0 1.426 करोड़ की योजना तैयार की गयी है। इस प्रकार योजना पर कुल व्यय रु0 144.06 करोड़ होगा।

उक्त योजना के नवीनतम मार्ग निर्देशिका तथा गत वर्षों के अनुभव के आधार पर योजना को तैयार किया गया जिसका संक्षिप्त सार अग्रेतर वर्णित हैः

योजना का नामः पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना वर्ष 2015–16

योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्यः

- धान व गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी।
- मृदा स्वास्थ्य (मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता) में सुधार।
- उथले नलकूपों के छिद्रण से अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन।
- मानव श्रम एवं खेती की लागत को कम करने हेतु बुवाई से लेकर कटाई–मड़ाई तक विभिन्न कृषि यंत्रों जिसमें थ्रेसर भी सम्मिलित है का उपयोग सुनिश्चित करना।
- जीरो टिल सीडड्रिल के प्रयोग से गेहूँ की बुवाई में बीज उवं उर्वरक का उचित गहराई पर प्रयोग।
- कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी हेतु एकीकृत पोषक तत्व तथा एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन का प्रयोग।
- कृषि उत्पादों के भण्डारण हेतु भण्डारण क्षमता में बढ़ोत्तरी।

योजना की रणनीतिः

- मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग।
- नलकूपों के छिद्रण से अतिरिक्त सिंचन क्षमता में वृद्धि की जायेगी।

- सामयिक रोपाई हेतु अतिशीघ्र नर्सरी तैयार की जायेगी।
- धान की सीधी बुवाई तथा स्री पद्धति के माध्यम से धान की खेती की लागत को कम किया जायेगा।
- अल्प अवधि तथा ताप अवरोधी व अन्य संताप अवरोधी प्रजातियों के उपयोग से उत्पादन में बढ़ोत्तरी की जायेगी।
- उच्च गुणवत्ता के कृषि निवेश व बीज का समय से प्रबंध किया जायेगा।
- कृषि विज्ञान केन्द्र तथा केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा नामित वैज्ञानिकों द्वारा कृषकों तथा कृषि कार्मिकों के ज्ञान की बढ़ोत्तरी हेतु प्रयास किया जायेगा।
- कृषि उत्पादों को भण्डारण कर उचित बाजार मूल्य व समय आने पर कृषकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त कराकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना।

कार्यक्षेत्रः पूर्वी उत्तर प्रदेश के 14 जनपद यथा इलाहाबाद, कौशाम्बी, वाराणसी, चन्दौली, सोनभद्र, संतरविदास नगर, महराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर व गोण्डा।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना
(बी0जी0आर0ई0आई0) वर्ष 2015–16 में कृषकों को अनुमन्य सुविधाएं

अ. चावल घटक–

क्रम सं0	मद का नाम	इकाई	धनराशि (रुपये में)
1.	(अ) धान क्लस्टर प्रदर्शन (प्रत्येक 100 हे0)	हे0	7500
	(ब) फसल पद्धति आधारित (प्रत्येक 100 हे0)	हे0	12500
2.	**बीज उत्पादन**		
	प्रमाणित बीज	कु0	1000
3.	**बीज वितरण**		
	(अ) संकर बीज	कु0	5000
	(ब) प्रमाणित बीज	कु0	1000
4.	**पोष तत्व प्रबंधन एवं मृदा सुधार**		
	(अ) सूक्ष्म पोषक तत्व	हे0	500
	(ब) जैव उर्वरक	हे0	300
	(स) जिप्सम	हे0	750
5.	**एकीकृत फसल प्रबंधन**		
	(अ) कृषि रक्षा रसायन/जैव कीटनाशी/बायो एजेन्ट	हे0	500
	(ब) खरपतवारनाशी	हे0	500

6.	**संपदा सृजन**		
	उथले नलकूल		
	(अ) सामान्य	सं0	7000
	(ब) एस0सी0पी0	सं0	10000
	ड्रम सीडर	सं0	1500
	सीडड्रिल	सं0	15000
	रोटावेटर	सं0	35000
	पम्पसेट	सं0	10000
	कोनोवीडर/मार्कर	सं0	600
	मानवचालित स्प्रेयर	सं0	600
	पावर नैप सैक स्प्रेयर	सं0	3000
	पावर वीडर	सं0	15000
	पैडी थ्रेसर	सं0	40000
	मल्टी क्राप थ्रेसर	सं0	40000
	लेजन लैण्ड लेवलर (10 किसानों के समूह हेतु)	सं0	150000
	सेल्फ प्रोपेल्ड राइस ट्रांप्लान्टर	सं0	750000
	राइस स्ट्रा चॉपर	सं0	15000
	रेक	सं0	15000
	बेलर	सं0	15000
	रेज्ड बेड प्लांटर	सं0	15000
7.	**स्थल विशेष क्रियाकलाप**		
	पानी लाने हेतु पाइप	मी0	25/मीटर
8	**कटाई उपरान्त कार्य व विपणन सहायता**		
	कम्यूनिटी फार्म स्टोरेज बिल्डिंग (किसान मण्डी समिति द्वारा निर्मित किया जायेगा)	सं0	9477000
9.	**फसल पद्धति आधारित प्रशिक्षण (4 मौसम)**	सं0	14000

ब. गेहूँ घटक–

क्रम सं0	मद का नाम	इकाई	धनराशि (रुपये में)
1.	क्लस्टर प्रदर्शन उन्नतिशील प्रजाति (प्रत्येक 100 हे0)	हे0	7500
2.	बीज उत्पादन	कु0	1000
3.	बीज वितरण	कु0	1000
4.	**पोषक तत्व प्रबंधन एवं मृदा सुधार**		
	(अ) सूक्षम पोषक तत्व	हे0	500
	(ब) जैव उर्वरक	हे0	300
	(स) जिप्सम	हे0	750
5.	**एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन**		
	(अ) कृषि रक्षा रसायन/जैव कीटनाशी/बायो एजेंट	हे0	500

	(ब) खरपतवारनाशी	हे0	500
6.	**संपदा सृजन**		
	जीरोटिल	सं0	15000
	सीडड्रिल	सं0	15000
	मल्टी क्राप थ्रेसर	सं0	40000
	पम्पसेट	सं0	10000
	रोटावेटर	सं0	35000
	हैपी सीडर	सं0	35000
	पावर टिलर	सं0	40000

अपेक्षित परिणाम :

- अतिरिक्त उत्पादन एवं उत्पादकता से कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार जिससे उनके जीवन स्तर में अग्रतर सुधार होगा और मानव विकास सूचकांक में ऊँचा स्थान प्राप्त करेगा।
- भावी पीढ़ी के लिए मृदा स्वास्थ्य में टिकाऊपन।

बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग की योजना

अ. प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान की योजनाः

खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि में फसलों की उन्नत ''प्रजातियों'' की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके दृष्टिगत कृषि विभाग उ0प्र0 द्वारा सीड रोलिंग प्लान–2012 तैयार किया गया है।

प्रदेश की बीज व्यवस्था से ''सस्ता–बीज'' की जगह ''सच्चा–बीज'' की नीति को प्रभावी करने का प्रयास किया जा रहा हे, जिस हेतु बाजार से बीज क्रय प्रक्रिया को प्रतिबन्धित किया गया है तथा बीजोत्पादक क्षेत्र की शीर्षस्थ संस्थाओं यथा–एन0एस0सी0, टी0डी0सी0, उ0प्र0 बीज विकास निगम, कृभको आदि से आगामी वर्षों (2016–17) तक नवीन प्रजातियों के बीजोत्पादन हेतु अनुबंध किया गया है।

प्रदेश की मुख्य फसल धान, गेहूँ की उन्नतशील प्रजातियों के प्रोत्साहन के साथ–साथ प्रदेश में प्रथमवार दलहनी एवं तिलहनी फसलों की नवीन प्रजातियों के प्रोत्साहन हेतु प्रजातियों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है।

1.	प्रमोशनल श्रेणी	–	10 वर्ष तक की विकसित प्रजाति।
2.	मेनटेन्स श्रेणी	–	15 वर्ष तक की विकसित प्रजाति।
3.	फेजआउट श्रेणी	–	15 वर्ष से ऊपर की प्रजाति।

फसलों की नवीन प्रजातियों के प्रोत्साहन हेतु पुरानी प्रजातियों (कम उत्पादकता वाली) के स्थान पर नवीन प्रजातियों (प्रमोशनल श्रेणी) के प्रोत्साहन पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि कृषकों को सही मूल्य पर अधिक उत्पादन देने वाली नवीन प्रजातियों के प्रति आत्मविश्वास बढ़ सके। धान एवं गेहूँ की प्रमोशनल श्रेणी की प्रजातियों पर रु0 400 प्रति कु0 तथा दलहनी (चना, मटर, मसूर, उर्द, मूंग एवं अरहर एवं तिलहनी (तिल एवं मूंगफली) फसलों की प्रमोशनल प्रजातियों पर रु0 800 प्रति कु0 का अनुदान अनुमन्य है।

इसी प्रकार धान एवं गेहूँ की मेनटेन्स श्रेणी (15 वर्ष तक की विकसित) की प्रजातियों पर रु0 200 प्रति कु0 तथा दलहनी (चना, मटर, मसूर, उर्द, मूंग एवं अरहर एवं तिलहनी (तिल एवं मूंगफली) फसलों की मेनटेन्स श्रेणी (15 वर्ष तक की विकसित) प्रजातियों पर रु0 600 प्रति कु0 का अनुदान अनुमन्य है।

बुंदेलखण्ड के जनपदों में तिल की समस्त प्रजातियों पर रु0 8000 प्रति कु0 का अनुदान वर्ष 2015–16 हेतु अनुमन्य किया गया है।

ब. प्रदेश में संकर बीजों को बढ़ावा देने की योजनाः

प्रदेश में अधिकांश किसान लघु एवं सीमान्त श्रेणी (92 प्रतिशत) कृषक हैं जिनका आर्थिक स्तर कमजोर है ऐसे कृषकों में संकर बीजों के क्रय करने का सामर्थ्य नहीं होता है। संकर बीजों की व्यवस्था दक्षिण भारत के प्रदेशों से निजी बीज उत्पादक कम्पनियों द्वारा किया जाता है क्योंकि प्रदेश में संकर बीजों का उत्पादन नहीं हो पाता है।

संकर बीजों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र सरकार की योजनाओं यथा ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन'' तथा हरित क्रान्ति योजना (बी0जी0आर0ई0आई0) में संकर धान, संकर मक्का, संकर ज्वार तथा संकर बाजरा के बीजों पर अनुदान देने का प्राविधान है। ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन'' तथा हरित क्रान्ति योजनान्तर्गत प्रदेश के चयनित जनपदों में संकर धान संकर मक्का, संकर ज्वार एवं संकर बाजरा के बीजों पर अनुदान तथा प्रदर्शन के कार्यक्रम संचालन का प्राविधान भारत सरकार द्वारा किया गया है। ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन'' के अन्तर्गत संकर धान पर रु0 5000 प्रति कु0 एवं संकर मक्का, संकर ज्वार तथा संकर बाजरा (कोर्स सीरियल जनपदों) पर रु0 5000 प्रति कु0 का अनुदान वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुमन्य है तथा राज्य सरकार द्वारा संकर धान पर रु0 8000 प्रति कु0, संकर बाजरा एवं संकर मक्का पर रु0 5000 प्रति कु0 का अनुदान अनुमन्य है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में संकर बीजों की उपलब्धता विकासखण्ड स्तर पर निर्धारित समय में निजी संकर बीज उत्पादक कम्पनियों द्वारा आनलाइन पंजीकृत कृषकों को करायी गयी है तथा अनुमन्य अनुदान की धनराशि कृषकों के खाते में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से आर0टी0जी0एस0 किया गया है।

स. सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प की योजनाः परियोजना अवधि–वित्तीय वर्ष 2015–15 से 2016–17

उद्देश्यः

1. वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का दोहन कर सस्ती सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना।
2. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का दोहन कर पर्यावरण हितैषी एवं सस्ती सिंचाई उपलब्ध कराते हुए टिकाऊ खेती को सृदृढ़ करना।

अनुदान की व्यवस्थाः

1. 1800 वाट (2 एच0पी0) सरफेस सोलर पम्प पर संयत्र के मूल्य का अधिकतम 75 प्रतिशत अनुदान देय है। कृषक अंश के रूप में रु0 60275 देय होगा।
2. 3000 वाट (3 एच0पी0) सबमर्सिबल सोलर पम्प पर संयत्र के मूल्य का अधिकतम 75 प्रतिशत अनुदान देय है। कृषक अंश के रूप में रु0 117200 देय होगा।
3. 4800 वाट (5 एच0पी0) सबमर्सिबल सोलर पम्प पर संयत्र के मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान देय है। कृषक अंश के रूप में रु0 265600 देय होगा।
4. 2 एच0 3 एच0पी0 क्षमता के सोलर पम्प पर अनुदान लघु एवं सीमान्त कृषकों को ही अनुमन्य है।
5. 5 एच0पी0 क्षमता के सोलर पम्प पर अनुदान लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनुमन्य है किन्तु लघु एवं सीमान्त कृषकों की उपलब्धता न होने पर अन्य कृषकों को भी 5 एच0पी0 क्षमता के सोलर पम्प अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जायेगें परन्तु उसकी संख्या कुल पम्पों की संख्या से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

कृषि रक्षा अनुभाग द्वारा संचालित विभिन्न परिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ विष रहित खाद्यान्न उत्पादन करने के लिये ऐसे कृषि रक्षा रसायन, जिसके कन्टेनर/पैकेट पर नर कंकाल की आकृति के साथ जहर लिखा हो तथा लाल श्रेणी में वर्गीकृत हों उन पर अनुदान देय नहीं होगा। केवल चूहा नियंत्रण एवं अन्न भण्डारण (लाल श्रेणी में वर्गीकृत) धूमक रसायन जिनका उचित विकल्प उपलब्ध नहीं है पर अनुदान देय होगा। योजना का लाभ प्रदेश में सभी जनपदों के विकास खण्ड स्तरीय कृषि रक्षा इकाई के माध्यम से कृषकों को निम्नवत प्रदान किया जायेगा।

क्र0 सं0	मद	कृषकों को अनुमन्य सुविधाएं	पात्रता
1	बायोपेस्टीसाइड्स/ बायोएजेण्ट्स पर अनुदान	मूल्य का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 500/– प्रति हे0 जो भी कम हो।	लघु एवं सीमान्त कृषक जिसमें अनु0जा0/ज0जा0 तथा महिला कृषक सम्मिलित हों।
2	बीजशोधन हेतु बीजशोधक रसायनों पर अनुदान	मूल्य का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 150/– प्रति हे0 जो भी कम हो।	प्रत्येक वर्ग एवं श्रेणी के कृषक जिसमें अनु0जा0/ ज0जा0 तथा महिला कृषक सम्मिलित हों।
3	कीट/रोग, खरपतवार नियंत्रण हेतु कृषि रक्षा रसायनों पर अनुदान	मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 500/– प्रति हे0 जो भी कम हो।	लघु एवं सीमान्त कृषक जिसमें अनु0जा0/ज0जा0 तथा महिला कृषक सम्मिलित हों।
4	वैज्ञानिक खेती हेतु कृषि रक्षा यंत्रों पर अनुदान	मानव चालित मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 1500/– प्रति यंत्र जो भी कम हो। शक्ति चालित मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 3000/– प्रति यंत्र जो भी कम हो।	लघु एवं सीमान्त कृषक जिसमें अनु0जा0/ज0जा0 तथा महिला कृषक सम्मिलित हों।
5	सुरक्षित अन्न भण्डारण हेतु बखारी पर अनुदान	5, 3, 2 कु0 की बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रू0 1000 प्रति बखारी, जो भी कम हो।	लघु एवं सीमान्त कृषक जिसमें अनु0जा0/ज0जा0 तथा महिला कृषक सम्मिलित हों।

शोध एवं मृदा सर्वेक्षण अनुभाग द्वारा संचालित योजनाएँ

(मृदा परीक्षण कार्यक्रम) मृदा सर्वेक्षण एवं जैव उर्वरक के प्रयोग को
प्रोत्साहित करने की कार्य योजनान्तर्गत देय सुविधाओं का विवरण वर्ष 2015–16

अ. मृदा सर्वेक्षण कार्यक्रम

कार्यक्षेत्र : प्रदेश के दस मण्डल (इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, झाँसी)

उद्देश्य : भूमि की उपयोगिता के लिये वर्गीकरण करना

कृषकों को दी जाने वाली सुविधाएँ :

- ❖ भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से देना।
- ❖ विकास खण्ड के चयनित ग्राम में विस्तृत मृदा सर्वेक्षण करना।
- ❖ कृषकों को भू–उपयोग क्षमता व उर्वरता के बारे में प्रशिक्षण देना।

ब. मृदा परीक्षण की योजना :

कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

उद्देश्य :

- ❖ फसल विशेष हेतु उर्वरकों की सही मात्रा का निर्धारण।
- ❖ भूमि में उपलब्ध मुख्य/द्वितीय एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात करना।
- ❖ मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार करना एवं कृषकों का मार्गदर्शन करना।
- ❖ मृदा संस्तुतियों के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग हेतु कृषकों को प्रेरित करना।

कृषकों को दी जाने वाली सुविधाएँ :

- ❖ मात्र रू0 7/– शुल्क लेकर मृदा नमूनों के मुख्य पोषक तत्वों का विश्लेषण ।
- ❖ लक्ष्य के 10 प्रतिशत सीमा तक सीमान्त कृषकों के नमूनों की निःशुल्क विश्लेषण की सुविधा।
- ❖ मात्र रू0 10/– शुल्क लेकर सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा मुख्य पोषक तत्व का विश्लेषण।
- ❖ मात्र रू0 30/– शुल्क लेकर सल्फर एवं सूक्ष्म पोषक तत्व का विश्लेषण।
- ❖ मृदा नमूनों के विश्लेषणोपरान्त लगभग 40.00 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार कर कृषकों को निः शुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

3. जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना:

कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

उद्देश्य : फसलों में नत्रजन उपलब्ध कराने हेतु जीवाणु खाद (जेव उर्वरक) द्वारा वायुमण्डलीय

नत्रजन को संचित करना एवं फास्फेटिका जैव उर्वरक द्वारा मृदा में पौधों हेतु अनुपलब्ध फास्फेटिक उर्वरक को उपलब्ध अवस्था में उपलब्ध कराना।

कृषकों को दी जाने वाली सुविधाएँ : कृषकों को जैव उर्वरक के उत्पादन लागत का 75 प्रतिशत छूट अर्थात प्रति जैव उर्वरक पैकेट रू0 2.25 पर देय है।

स. राज्य योजनान्तर्गत

1. मृदा स्वास्थ्य का सुदृढ़ीकरण : (182 तहसील स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा मृदा परीक्षण कार्यक्रम के विस्तार की कार्य योजना)

उद्देश्य : तहसील स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा मृदा परीक्षण कार्यक्रम में विस्तार करना। कृषकों को तत्काल मृदा परीक्षण परिणामों पर आधारित रसायनिक उर्वरकों एवं जैविक खादों के संतुलित प्रयोग हेतु उनके द्वारा बोई जाने वाली फसल विशेष कि आवश्यकतानुसार संस्तुति देना एवं टिकाऊ खेती हेतु मृदा स्वास्थ्य को अक्षुण रखना।

शासनादेश संख्या 1725/12–2–2010–147/2007/दिनांक 07.05.2010 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत 182 तहसील स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन हेतु चयनित सर्विस प्रोवाइडर से अनुबन्ध करते हुए निर्धारित योग्यताधारी प्रयोगशाला कार्मिकों की सेवाएं निर्धारित दर से चार्जेज के भुगतान के अन्तर्गत प्राप्त की जानी है। तद्सम्बन्ध में योजनान्तर्गत प्रत्येक तहसील स्तरीय म ृदा परीक्षण प्रयोगशाला पर 1 मृदा विश्लेषक, 2 तकनीकी सहायक तथा 1 प्रयोगशाला परिचर की व्यवस्था की जा रही है।

कार्य क्षेत्र : प्रदेश के समस्त 75 जनपद

सुविधाएँ : कृषकों को तत्काल मृदा परीक्षण परिणामों पर आधारित रसायनिक उर्वरकों एवं जैविक खादों के संतुलित प्रयोग हेतु उनके द्वारा बोई जाने वाली फसल विशेष की आवश्यकतानुसार संस्तुति देना।

द. जैव कल्चर उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की कार्य योजना।

उद्देश्य: कृषि उत्पादन में जैव उर्वरकों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जैव उर्वरक उत्पादन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में मृदा स्वास्थ्य एवं महंगे रसायनिक कृषि निवेश को दृष्टिगत रखते हुए वायुमण्डल के नत्रजन को मृदा में स्थिरीकरण हेतु राइजोबियम एवं एजेटोबैक्टर तथा मृदा में उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करने हेतु फास्फोरस साल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया (पी0एस0बी0) का उत्पादन कराते हुए इन जैव उर्वरकों का प्रयोग बीजोपचार, मृदा उपचार एवं अन्य उपचारों के माध्यम से फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होती है।

कार्य क्षेत्र :

विभाग द्वारा संचालित 17 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं द्वारा उत्पादित जैव कल्चर पैकेटों द्वारा प्रदेशों के समस्त 75 जनपदों को आच्छादित करते हुए कृषकों को बीजोपचार/मृदा उपचार विधियों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित प्रयोगशालाएँ क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला–लखनऊ, झाँसी, बाँदा, आजमगढ़, सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र–मथुरा, मेरठ, वाराणसी, इटावा, बाराबंकी, बरेली भूमि परीक्षण प्रयोगशाला–सुल्तानपुर, अलीगढ़, एटा, बदायूँ, जालौन, बहराइच एवं राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमान खेड़ा–लखनऊ।

कृषकों को अनुमन्य सुविधाएँ : उक्त कार्ययोजनान्तर्गत खरीफ, रबी एवं जायद के फसलों के बुवाई के पूर्व राइजोवियम, अजेटोबैक्टर एवं फास्फेटिका जैव उर्वरक (पी0एस0बी0) का उत्पादन कर कृषकों में 75 प्रतिशत अनुदान पर बीजोपचार हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। जैव उर्वरक लागत मूल्य रू0 9.00 प्रति पैकेट (200 ग्राम) को 75 प्रतिशत अनुदान पर, कृषक अंश मात्र रू0 2.25 प्राप्त कर राजकीय कृषि बीच भण्डारों कसे कृषकों को वितरण किया जा रहा है।

सांरिव्यकी अनुभाग द्वारा संचालित योजनाएं

अ. कृषि सांख्यिकी एवं प्रबन्धक व्यवस्था को कम्प्युटराइज़ करने की योजना।

उद्देश्य :

1. कम्प्यूटर की सहायता से क्षेत्रीय स्तर पर प्राप्त कृषि सांख्यिकी योजनाओं/सर्वेक्षणों के आंकड़ों को त्वरित गति से संकलित एवं विश्लेषित करते हुए अनुमानों/रिपोर्टों को तैयार करना।
2. प्रत्येक वर्ष कृषि आंकड़ों के प्रकाशन के लिये सारणीकरण करके प्रकाशन हेतु कम्प्यूटर द्वारा पाण्डुलिपि तैयार करना।
3. दैनिक वर्षा आंकड़ों को संकलित करके कम्प्यूटर की सहायता से विभिन्न स्तरों पर यथ दैनिक, साप्ताहिक मासिक एंव पाक्षिक वर्षा के आंकड़ों की रिपोर्ट तैयार करना।
4. कृषि विभाग के समस्त लेखा बीजकों तथा बजट वितरण के कार्य कम्प्यूटर की सहायता से सम्पादित करना।

कार्यक्षेत्र : प्रदेशीय मुख्यालस

केन्द्र/राज्य पोषित : राज्य पोषित योजना। इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को कोई सुविधा देय नहीं है।

ब. न्याय पंचायत स्तर पर प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के अनुमानों को आंकलित कर, डाटा बैंक तैयार करने की योजना

उद्देश्य : प्रदेश में कृषि के समग्र विकास लिये न्याय पंचासत स्तर पर कृषि के आधारभूत आंकड़े, फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता के अनुमानों को आंकलित करते हुए डाटा बैंक का सृजन करना।

कार्यक्षेत्र : प्रदेश की सभी न्याय पंचायत

केन्द्र/राज्य पोषित : इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को कोई सुविधा देय नहीं है।

तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषकों को सहायता की योजना वर्ष 2015-16

प्रदेश के 65 चयनित जनपदों मे नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयरल पॉम योजनान्तर्गत स्प्रिंकलर इरीगेयान सिस्टम एवं एच0डी0पी0ई0 पाइप के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषकों को सहायता की योजनान्तर्गत राज्य आयोजनागत (State Sector) से कृषकों को निम्नवत् अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा :

क्र.सं.	मद का नाम	भारत सरकार द्वारा (एन.एम.आ.ओ.पी.) योनजा से देय अनुदान	राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त देय अनुदान	कुल अनुदान
1.	स्प्रिंकलर इरीगेया सिंस्टम	रू0 75000.00 प्रति हे0	रू0 7500.00 प्रति हे0	रू0 15000.00 प्रति हे0
2.	स्रोत से खेत तक पानी ले जाने हेतु एच0डी0पी0ई0 पाईप	रू0 25.00 प्रति मीटर अधिकतम रू0 15000.00	रू0 25.00 प्रति मीटर अधिकतम रू0 15000.00	रू0 50.00 प्रति हे0

शासनादेश

राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु संशोधित मदों की सूची एवं मानकों की संशोधित दरों के अनुसार राहत प्रदान किया जाना

संख्या जी0आई0– 07/1–11–2015–3(जी)/2015

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ:दिनॉक: 09 अप्रैल, 2015

विषयः–राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एन0डी0आर0एफ0) से सहायता हेतु संशोधित मदों (आइटम) की सूची एवं मानकों की संशोधित दरों के अनुसार राहत प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 32–7/2014–एन0डी0एम0आई0, दिनॉक 08.04.2015 में राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु संशोधित मदों की सूची एवं मानकों की संशोधित दरें निर्धारित की गयी है, जिसे दिनॉक 01.04.2015 से प्रभावी मानते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के उक्त निर्देश में माह फरवरी/मार्च 2015 में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को भी आच्छादित करने के निर्देश दिये गये है।

2. अतः गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनॉक 08.04.2015 की छायाप्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि कृपया भारत सरकार के द्वारा मानक एवं दरों के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करने का कष्ट करें।

3. भारत सरकार का उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनॉक 08.04.2015 संलग्नक सहित राहत की वेबसाइड www.rahat.up.nic पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

371 GO-R-11-r

PEOPLE'S ADVOCACY FORUM
3/237, Vinay Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Uttar Pradesh, India
E-mail : janpairvimanch@gmail.com

SAMARTH FOUNDATION
Beri Road,
Kurara-210505, Hamirpur,
Uttar Pradesh, India
E-mail : devendragandhisamarth@gmail.com